06.12.22

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार वाली द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थनापत्र एवं अप्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत किए गए जवाबों का अवलोकन करने बाद यह पाया गया कि ग्राम मुण्डारा के खसरा संख्या 1398 रकबा 3.33 hq भूमि में 23 सहखातेदार है। उनमें से दो की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके वारिसानों को रेकॉर्ड पे लिया गया है। वक्त जमीन

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर 10 कमरे आवासीय उद्देश्य के लिए निर्माणाधीन है। काश्तकारों को अपनी खातेदारी भूमि में 500 वर्गमीटर तक रहवासीय मकान या बाडा बनाने के लिए ~~500 व अस~~ बिना कोई संपरिवर्तन प्रभारों के तहसीलदार के समक्ष संपरिवर्तन ~~क~~ आवेदन पेश करने का प्रावधान है। नियम 05, राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 में यह प्रावधान दिया गया है। तथा ~~कास.~~ उक्त भूमि के सहखातेदारों द्वारा बंटवारे के पश्चात आवासीय प्रयोजन के लिए आवेदन करने की सहमति बताई गई। उपरोक्त प्रावधानों के तहत इस पत्रावली में आगे की कार्यवाही करना उचित नहीं होने से पत्रावली खारीज की जाती है। लेकिन भविष्य में इसी जमिन पे बिना संपरिवर्तन के अकृषि प्रयोजन हेतु इस्तेमाल किया तो न्यायालय में फिरसे 177 की कार्यवाही चल सकती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होवे। Sd उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)	